12

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक– /2018 II/अपील/सतना/भू.रा./2018/1251

1. प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, उम्र–52 वर्ष, पेशा–नौकरी,
2. विनोद कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, उम्र–45 वर्ष, पेशा–नौकरी,
3. ममता तिवारी पुत्री स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, उम्र–48 वर्ष, पेशा–घरूकार्य,

सभी निवासीगण–ग्राम गढ़िया टोला, बगहा, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.)

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी,
2. देवेश कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, आयु–30 वर्ष,
3. रूपेश कुमार तिवरी पुत्र स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, आयु–32 वर्ष,
4. रवि तिवारी पुत्र स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, आयु–28 वर्ष,
5. माया मिश्रा पुत्री स्व. श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, पत्नी श्री रामहर्ष मिश्रा, आयु–50 वर्ष, पेशा–घरूकार्य, सभी निवासीगण–ग्राम गढ़िया टोला, बगहा, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.)

–––प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, द्वारा प्रकरण क्रमांक–301/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2018 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(2) के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थीगण के स्वर्गीय पिता श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी की संतानें अपीलार्थीगण हैं तथा दूसरी पत्नी की संतानें प्रत्यर्थीगण हैं।

Hmt. (Rd-=1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/अपील/सतना/भूरा/2018/1251

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.03.18	आवेदक अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा के प्रकरण की ग्राह्यता पर विस्तृत तर्क श्रवण किये गये। 2— यह अपील अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 301/अपील/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 06.02.18 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा—44 (2) के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 18.01.17 के वारिसाना नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनावेदकगण द्वारा धारा 30 के तहत् कलेक्टर सतना के समक्ष अपील प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर सतना द्वारा आदेश दिनांक 23.01.18 के द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त अपील प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर से अनुविभागीय अधिकारी मैहर के न्यायालय में अंतरित किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 06.02.18 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये बिना ही ग्राह्यता पर ही आवेदक की अपील निरस्त कर दी गई। मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण	

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर से अनुविभागीय अधिकारी मैहर के न्यायालय में अंतरित किये जाने का आदेश दिनांक 23.01.18 पारित किया गया। अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 06.02.18 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये बिना ही ग्राह्यता पर ही आवेदक की अपील निरस्त करने में विधिक भूल की है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.18 तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 06.02.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर सतना को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

सदस्य